न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–श्री मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

दावा संख्या–52/2015 उनवानी प्रकाश बनाम रूमाली वगै0
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

उपस्थित :–श्री गजेन्द्र कुमार सैनी , एडवोकेट, प्रार्थी (प्रतिवादी) की ओर से
श्री तरूण कुमार शर्मा , एडवोकेट, अप्रार्थी (वादी) की ओर से

निर्णय **दिनांक–27.03.2018**

वादपत्र संख्या–52/2015 उनवानी प्रकाश बनाम रूमाली वगै0 में प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया गया कि वादी की ओर से यह दावा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 23.06.2004 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता नाथ्या द्वारा भूमि खसरा नंबर 986 रकबा 0.08 हेक्टर व खसरा नंबर 1024 रकबा 0.54 हेक्टर का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के हक में रजिस्टर्ड करवाया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा अपने हिस्से के 1/4 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.05.2015 को प्रतिवादी संख्या एक को विक्रय किया है। उक्त विक्रय पत्रों निरस्तीकरण हेतु पेश किया गया है। वादी द्वारा उक्त दावा विक्रय पत्र गरीबा दिनांक 23.06.2004 व दिनांक 26.05.2015 को निरस्त करवाने का प्रस्तुत किया है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय का है। ऐसी स्थिति में वादी का दावा क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी (वादी) द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 व वादी के पिता नाथ्या द्वारा दिनांक 23.06.2004 को भूमि खसरा नंबर 986 रकबा 0.08 हेक्टर, 1024 रकबा 0.54 हेक्टर का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 के हक में करवाया जाना व प्रतिवादी संख्या 3 के हक में दिनांक 26.05.2015 को विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवाया जाना स्वीकार है, शेष इबारत गलत है। वादी ने उक्त विक्रय पत्रों को नल एण्ड वोइड घोषित करवाने के लिए वादपत्र प्रस्तुत किया है जो वादपत्र का अनुशांगिक अनुतोष है। प्रतिवादी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। जवाब के विशेष विवरण में अंकित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रतिवादी खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा क्षेत्राधिकार का बिन्दु उठाया है जबकि क्षेत्राधिकार का बिन्दु तथ्य व विधि मिश्रित बिन्दु है। जिसका निस्तारण उभयपक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत ही किया जा सकता है। वादी का मुख्य अनुतोष घोषणा खातेदारी का है। विक्रय पत्र को नल एण्ड वोइड किये जाने का अनुतोष अनुसांगिक अनुतोष है जो कि राजस्व न्यायालय द्वारा कानूनन दिया जा सकता है। इस कारण दावा वादी कानूनन राजस्व

न्यायालय द्वारा ही सुनवाई किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादी खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का निस्तारण करते वक्त प्रतिवादी के कथनों पर विचार नहीं किया जावेगा बल्कि दावे की प्रकृति पर विचार किया जाना है। दावा अपने प्राथमिक स्तर पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाये गये उज्र अपने जवाबदावा में भी अंकित किये है। जिनके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा विवाद्यक कायम किये जाने है तथा उभयपक्षों की साक्ष्य आनी है। जिसके बाद ही दावा का न्यायपूर्ण निस्तारण किया जाना संभव है। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रतिवादी कानूनन संचलन नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1व 2) ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादी द्वारा अपने वादपत्र में घोषणा खातेदारी चाही है जो इस भूमि के संबंध में पंजीबद्ध करवाये गये दस्तावेजों को निरस्त किये बिना संभव नहीं है। इस प्रकार पंजीबद्ध दस्तावेजों को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय हाजा को पंजीबद्ध दस्तावेजों को निरस्त करने का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में 2017(3) CJ(Civ.)(Raj.) 1919–1926, 2018(1)CJ(Civ.)(Raj.) पेज नंबर 589–602 एवं राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र कमांक–प.5(6) राज.–6/92/11 दिनांक 05.04.2006 की प्रति पेश की है।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने अपने जवाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादपत्र में मुख्य अनुतोष घोषणा खातेदारी का चाहा गया है। पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्तीकरण का भी अनुतोष वादपत्र में नहीं चाहा गया है बल्कि दस्तावेज को नल एण्ड वोइड किये जाने का अनुतोष चाहा गया है एवं यह मुख्य अनुतोष नहीं होकर अनुसांगिक अनुतोष है। इस कारण यह दावा राजस्व न्यायालय में संचलन योग्य है। क्षेत्राधिकार का बिन्दु साक्ष्य एवं विधि मिश्रित होने के कारण इसका निस्तारण विस्तृत सुनवाई उपरांत ही तय किया जाना संभव होगा। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी नंबर 1 व 2) अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 1984 पेज 851–857, आरआरडी 14.07.2008 पेज 423–426, आरआरडी 2007 पेज 594–598, आरआरडी 14.4.2009 पेज 244–246, आरआरडी 1990 पेज 41–44, आरआरडी 14.06.2013 पेज 368–369, आरआरडी 1984 पेज 280–283 की नजीरें पेश की है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2071–74 के अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 229, 230, 903, 910, 918, 921 कुल किता 6 कुल रकबा 3.96 हेक्टर ग्राम शिवाला प्रकाश मुकेश पि0 नाथ्या भोली बेवा नाथ्या, लखों पुत्री नाथ्या हि0ब0 जाति मीना के नाम दर्ज है। इस प्रकार

यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि के प्रकाश मुकेश पि0 नाथ्या भोली बेवा नाथ्या, लखों पुत्री नाथ्या जाति मीना रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज कमांक–157 दिनांक 26.05.2015 के अनुसार भोली बेवा नाथ्या जाति मीना निवासी शिवाला द्वारा खाता संख्या 199 के कुल खसरा नंबर 6 कुल रकबा 3.96 हेक्टर ग्राम शिवाला में से 1/4 हिस्से को 4,31,000/– रूपये में श्रीमती रूमाली पत्नी मुकेश जाति मीना निवासी शिवाला को विकय किया गया है। इसी प्रकार दस्तावेज कमांक–538 दिनांक 23.06.2004 के अनुसार नाथ्या पुत्र रतनलाल, मीना द्वारा खसरा नंबर 986 रकबा 0.08 हेक्टर, 1024 रकबा 0.54 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 हेक्टर ग्राम शिवाला को 1,14,000/– रूपये में श्रीमती रूमाली पत्नी मुकेश जाति मीना को विकय किया गया है। दोनों विकय पत्र उपपंजीयक, वजीरपुर के कार्यालय में पंजीबद्ध किये गये है। वकील अप्रार्थी (वादी) का कथन है कि उसके द्वारा मुख्यरूप से घोषणा खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है, दस्तावेज को नल एण्ड वोइड किये जाने का अनुतोष मुख्य अनुतोष नहीं होकर अनुसांगिक अनुतोष है लेकिन हमारी विनम्र राय में उप पंजीयक, वजीरपुर द्वारा पंजीबद्ध किये गये दस्तावेजों को बिना निरस्त किये वादी को उसके द्वारा चाही गई भूमि का खातेदार घोषित किया जाना संभव नहीं है। पंजीबद्ध दस्तावेजों को निरस्त करने के उपरांत ही वादी को वादपत्र में वर्णित भूमि का खातेदार घोषित किया जाना संभव है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र संख्या–प.5(6)राज.–6/92/11 जयपुर दिनांक–05.04.2006 के अनुसार जहॉ राजस्व वाद किसी पंजीकृत विलेख को निरस्त कराने के संबंध में है। ऐसे वादों का स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पंजीकृत विलेख को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। इस प्रकार हमारी राय में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वकील वादी की नजीरें प्रकरण में चस्पा नहीं होती है जबकि वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रकरण में चस्पा होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वकील प्रार्थी (प्रतिवादी नंबर 1 व 2) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

Judi/Civil

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर **मुकाम** गंगापुर सिटी

इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

प्रकाश पुत्र नाथ्या, जाति–मीना, निवासी ग्राम सैवाला तहसील वजीरपुर – वादी

बनाम

1. रूमाली पत्नी मुकेश, जाति मीना, निवासी सैवाला, तहसील वजीरपुर
2. मुकेश पुत्र नाथ्या, जाति मीना, निवासी सैवाला, तहसील वजीरपुर
3. भोली बेवा नाथ्या, जाति मीना, निवासी सैवाला, तहसील वजीरपुर
4. लक्खो पुत्री नाथ्या पत्नी शिवचरण, भडंगपुरा, तहसील सपोटरा जिला करौली
5. लेण्ड होल्डर व उप पंजीयक, जरिये तहसीलदार, वजीरपुर –प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर– 52/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** श्री गजेन्द्र कुमार सैनी, एडवोकेट **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि** वकील प्रार्थी (प्रतिवादी नंबर 1 व 2) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री अज दिनांक–27.03.2018 को जारी किया गया।

(मुनिदेव यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			 स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी
27.03.18	वकील उभयपक्ष उप०। बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र 07R11 CPC सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 07R11 CPC स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के सलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार हो। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी	